

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

पुर्नस्थापन वाद सं०-०२/२०२३

(संदर्भ:- मध्यस्थता अपीलवाद सं०-५९/२०२०, अश्विनी कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य)

अश्विनी कुमार सिंह.....अपीलकर्ता
बनाम्

बिहार राज्यविपक्षी

आदेश

30.06.2023


प्रस्तुत पुर्नस्थापन वाद, मध्यस्थता अपीलवाद सं०-५९/२०२० में दिनांक 30.09.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है।

एन०एच०ए०आई० के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि एन०एच०ए०आई० एक्ट के तहत पुर्नस्थापन वाद दायर किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।


अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता वाद सं०-५९/२०२० में अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए थे जिसमें उनके लगातार अनुपस्थित रहने के आधार पर वाद को सुनवाई के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया है।

वस्तुतः N.H.A.I. Act 1956 में Restoration दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत पुर्नस्थापन वाद सं०-०२/२०२३ (मध्यस्थता वाद सं०-५९/२०२० से व्युत्पन्न) को ग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।


आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।